**भारत सरकार**

**जनजातीय कार्य मंत्रालय**

**लोकसभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- †870**

**उत्तर देने की तारीख**- 12/12/.2022

**जनजातीय क्षेत्रों को धनराशि**

**†870. श्री दिलीप घोष:**

**श्री नकुल के. नाथ:**

**क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न जनजातीय कल्याण योजनाओं के अंतर्गत पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश को आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;**

**(ख) क्या पश्चिम बंगाल के जनजातीय क्षेत्रों में कौशल विकास हेतु कोई विशेष योजना/परियोजना चल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और**

**(ग) जनजातीय कार्य विभाग द्वारा राज्य सरकार को दी गयी निधि के उपयोग की स्थिति क्या है?**

**उत्तर**

**जनजातीय कार्य राज्य मंत्री**
**(श्रीमती रेणुका सरूता)**

**(क): अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आवंटन केंद्रीय बजट के व्यय प्रोफाइल में संलग्न विवरण 10बी के अनुसार है। इसमें कोई राज्य-विशिष्ट आवंटन नहीं किया गया है। तथापि, मंत्रालय प्रस्ताव आधारित आबंटन करता है। पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में जनजातीय कल्याण के लिए स्वीकृत निधियों के ब्यौरे पब्लिक डोमेन में** https://stcmis.gov.in **और तत्संबंधी 'राज्य सरकारों/अन्य राज्य एजेंसियों की रिपोर्ट' में उपलब्ध है।**

**(ख): जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाएं/परियोजनाएं सामान्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों के लिए हैं। मंत्रालय द्वार कार्यान्वित प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना के तहत घटक 'वन धन विकास कार्यक्रम' का उद्देश्य प्रत्येक चरण में प्रौद्योगिकी और आईटी का प्रयोग करके जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान और कौशल गुणता (स्किल सेट) का उपयोग करना है ताकि इन्हें प्रत्येक स्तर पर अपग्रेड करते हुए जनजातीय ज्ञान को व्यवहार्य आर्थिक गतिविधि में परिवर्तित किया जा सकें। इसके अतिरिक्त, ट्राइफेड, योजना घटक 'जनजातीय उत्पादों/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता' के तहत समय-समय पर**

जनजातीय लाभार्थियों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा, ट्राइफेड ने 'जनजातियों के लिए तकनीक' (टेक फॉर ट्राइबल्स) के तहत, वन धन लाभार्थियों के लिए उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए हैं, जिसके लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा उनकी उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) योजना के तहत निधियां उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, मंत्रालय 'जनजातीय उप योजना को विशेष केंद्रीय सहायता' (टीएसएस को एससीए) व संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान योजनाओं के तहत राज्य सरकारों को कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए निधियां भी प्रदान करता है।

(ग) : मंत्रालय के पास जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत निधियों के उपयोग की स्थिति के ब्यौरे नहीं है। तथापि, संलग्नक में इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय के पास उपलब्ध जारी की गई निधियों की उपयोगिता संबंधी ब्यौरे है।

**अनुलग्नक**

**"जनजातीय क्षेत्रों को धनराशि" के संबंध में श्री दिलीप घोष तथा श्री नकुल के. नाथ द्वारा पूछा गया दिनांक 12.12.2022 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. †870 के भाग (ग) के उत्तर में विवरण**

**पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में जनजातीय कल्याण के लिए उपयोग की गई निधियों का विवरण:**

**क. राष्ट्रीय आदिवास शिक्षा सोसायटी (एनईएसटी):**

**राष्ट्रीय आदिवासी शिक्षा सोसायटी (एनईएसटी), जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन, जिसकी स्थापना ईएमआरएस की योजना के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2019-20 में की गई थी। वर्ष 2020-21 से एनईएसटीएस द्वारा राज्य ईएमआरएस सोसायटियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुदान जारी किया जाता है। इससे पहले ईएमआरएस भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के अंतर्गत एक घटक था और वर्ष 2019-20 तक अनुदान अनुच्छेद 275(1) के तहत जारी किए गए थे। एनईएसटीएस द्वारा 2020-21 से अब तक मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल को जारी की गई निधि और राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट/सूचित उपयोगिता ब्यौरा निम्नानुसार है: -**

**राज्यों में निर्माण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जारी अनावर्ती निधियों की स्थिति**

**(लाख रुपये में)**

| | वित्तीय वर्ष 2020-21 | | वित्तीय वर्ष 2021-22 | | वित्तीय वर्ष 2022-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| राज्य | तक जारी की गई निधियां | निधियों का उपयोग | तक जारी की गई निधियां | निधियों का उपयोग | वर्तमान वर्ष 2022-23 में जारी की गई निधियां |
| मध्य प्रदेश | 3876 | 0.00 | 3560 | 1846 | 4545 |
| पश्चिम बंगाल | 800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **कुल** | **4676** | **0.00** | **3560** | **1846** | **4545** |

**आवर्ती निधि की स्थिति**

**(लाख रुपये में)**

| क्र.सं. | राज्य का नाम | वित्तीय वर्ष 2020-21 | | वित्तीय वर्ष 2021-22 | | वित्तीय वर्ष 2022-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जारी की गई निधि | निधि का उपयोग | जारी की गई निधि | निधि का उपयोग | जारी की गई निधि |
| 1 | मध्य प्रदेश | 10583.36 | 2113.09 | - | डेटा प्राप्त नहीं हुआ | 18000.00 |
| 2 | पश्चिम बंगाल | 1262.45 | 529.85 | - | डेटा प्राप्त नहीं हुआ | - |

**ख. अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान**

**भारत के संविधान के अनुच्छेद** 275(1) **के तहत अनुदान स्कीम भारत सरकार से राज्यों को** 100% **अनुदान है। इस कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण, राज्य को विकास की ऐसी योजनाओं की लागत को पूरा करने में सक्षम बनाना है, जो राज्य द्वारा उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने या वहाँ अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर तक से ऊपर उठाने के उद्देश्य से शुरू की जाती हैं।**

**सरकार ने देश भर में जनजातीय लोगों के समग्र विकास के लिए एक बहु-आयामी कार्यनीति अपनाई है, जिसमें** विभिन्न **क्षेत्र शामिल हैं नामत: (**i) **शिक्षा (**ii) **स्वास्थ्य (**iii) **प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, बागवानी, पशुपालन (एएच), मत्स्य पालन, डेयरी और अन्य (**iv) **जनजातीय घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए अन्य आय सृजन योजनाएं और (**v) **प्रशासनिक संरचना /संस्थागत ढांचा और अनुसंधान अध्ययन हैं। कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस मंत्रालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के अंतर्गत कार्यकारी समिति द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर और इस उद्देश्य के लिए मंत्रालय में गठित परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन के बाद वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।**

**पिछले 5 वर्षों के दौरान (06.12.2022 तक) अनुच्छेद 275 (1) के तहत पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्य के लिए जारी की गई निधियां निम्नानुसार है: -**

**पश्चिम बंगाल**

**(लाख रूपए में)**

| **वर्ष** | **जारी की गई निधियां** | **राज्य सरकार द्वारा लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र** |
|---|---|---|
| 2017-18 | 5376.51 | 0.00 |
| 2018-19 | 9235.725 | 0.00 |
| 2019-20 | 12127.17 | 0.00 |
| 2020-21 | 4041.14 | 0.00 |
| 2021-22 | 0.00* | -- |
| **कुल** | 30780.545 | 0.00 |

***लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) के कारण कोई निधि जारी नहीं की गई।**

**मध्य प्रदेश**

**(लाख रूपए में)**

| **वर्ष** | **जारी की गई निधियां** | **राज्य सरकार द्वारा लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र** |
|---|---|---|
| 2017-18 | 22399.48 | 294.93 |
| 2018-19 | 24635.50 | 3274.85 |
| 2019-20 | 44938.92 | 3474.19 |
| 2020-21 | 4279.78 | 895.97 |
| 2021-22 | 5319.10 | 2438.04 |
| **कुल** | 101572.78 | 10377.98 |

***लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) के कारण कोई निधि जारी नहीं की गई।**

**ग. 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन'**

**वन धन विकास कार्यक्रम 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन' योजना के तहत वन धन यानी वन संपदा का उपयोग करके जनजातियों के लिए आजीविका सृजन को लक्षित करने वाली एक पहल है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक चरण में इसे जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान और कौशल गुणवत्ता (स्किल सेट) को प्रत्येक स्तर पर प्रोन्नत करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जनजातीय ज्ञान को व्यवहार्य आर्थिक गतिविधि में परिवर्तित करना है। इस कार्यक्रम के तहत, जनजाति समुदाय के स्वामित्व वाले बहुउद्देश्यीय केंद्र (वन धन विकास केंद्र - वीडीवीके के रूप में जाने जाते हैं) मुख्य रूप से**

**जनजातीय जिलों में स्थापित किए गए हैं। वीडीवीके स्थानीय जनजातीय उपज की खरीद सह मूल्यवर्धन के लिए सामान्य सुविधा केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। कच्चे उत्पाद के मूल्यवर्धन से उपज के मूल्य में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है और इसके परिणामस्वरूप संग्राहकों की आय में वृद्धि होगी। अगस्त 2022 तक पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में स्वीकृत वन धन विकास केंद्र का विवरण नीचे दिया गया है:**

**पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में वीडीवीके कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों का विवरण :**

| क्र.सं. | राज्य का नाम | वीडीवीके की कुल संख्या | लाभार्थियों/वन संग्राहकों की कुल संख्या | स्वीकृत राशि (लाख रुपये में) | वीडीवीके द्वारा पूरे किए गए प्रशिक्षण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मध्य प्रदेश | 107 | 32160 | 1605 | 86 |
| 2 | पश्चिम बंगाल | 22 | 6719 | 329.35 | 0 |

**घ. जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (टीएसएस को एससीए):**

**वर्ष 2020-21 तक जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना (टीएसएस को एससीए) के तहत, अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के विकास के लिए शिक्षा स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, आजीविका, कौशल विकास, लघु बुनियादी ढांचा आदि से संबंधित गतिविधियों के लिए पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश सरकार सहित राज्य सरकारों में अधिसूचित अजजा (एसटी) को 100% अनुदान प्रदान किया गया था।**

**2021-22 के दौरान, मंत्रालय ने 'टीएसएस को एससीए' को 'प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)' में नवरूपित किया है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले गांवों को आदर्श गांव (आदर्श ग्राम) में परिवर्तित करना है, जहां अजजा लोगों की बुनियादी सुविधाओं और अवसरंचना सुविधाओं तक पहुंच उन्हें एक सम्मानित जीवन जीने और उनकी अंतर्निहित क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम बनाती हैं।**

**पिछले 5 वर्षों के दौरान 'टीएसएस को एससीए'/ 'पीएमएएजीवाई' योजना के तहत पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा जारी की गई निधियों और उसके उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:**

**1. मध्य प्रदेश**

**(लाख रूपए में)**

| योजना का नाम | वर्ष | जारी की गई निधि | उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत किए गए |
|---|---|---|---|
| टीएसएस को एससीए | 2017-18 | 22828.70 | 22315.82 |
| | 2018-19 | 16968.97 | 16637.89 |
| | 2019-20 | 13415.25 | 13066.35 |
| | 2020-21 | 0.00 | - |
| पीएमएएजीवाई | 2021-22 | 12268.76 | 0.00 |
| | 2022-23 | 13542.51 | - |
| | कुल | | |

**2. पश्चिम बंगाल**

**(लाख रूपए में)**

| योजना का नाम | वर्ष | जारी की गई निधि | उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत किए गए |
|---|---|---|---|
| टीएसएस को एससीए | 2017-18 | 5397.11 | 5397.11 |
| | 2018-19 | 5833.41 | 5833.41 |
| | 2019-20 | 5862.58 | 5862.58 |
| | 2020-21 | 3746.00 | 3746.00 |
| पीएमएएजीवाई | 2021-21 | 0.00 | - |
| | 2022-23 | 2685.06 | - |
| | कुल | | |

**ड. मध्य प्रदेश के लिए मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत पिछले 5 वर्षों के दौरान जारी की गई निधि और उपयोग की गई निधि का विवरण**

**(लाख रुपये में)**

| क्र.सं. | योजना का नाम | वित्तीय वर्ष 2017-18 | | वित्तीय वर्ष 2018-19 | | वित्तीय वर्ष 2019-20 | | वित्तीय वर्ष 2020-21 | | वित्तीय वर्ष 2021-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि |
| 1 | अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना | 5539.17 | 5539.17 | 5884.33 | 5884.33 | 7698.90 | 7698.90 | 5429.34 | 5429.34 | 11458.18 | 11458.18 |
| 2 | अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना | 10320.50 | 10320.50 | 13405.24 | 13405.24 | 12198.58 | 12198.58 | 12344.00 | 12344.00 | 24529.43 | 24529.43 |

**पश्चिम बंगाल के लिए मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत पिछले 5 वर्षों के दौरान जारी की गई निधि और उपयोग की गई निधि का विवरण**

**(राज्य द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार उपयोग की गई निधि की सूचना दी गई है)**

**(लाख रुपये में)**

| क्र.सं. | योजना का नाम | वित्तीय वर्ष 2017-18 | | वित्तीय वर्ष 2018-19 | | वित्तीय वर्ष 2019-20 | | वित्तीय वर्ष 2020-21 | | वित्तीय वर्ष 2021-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि |
| 1 | अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना | 0.00 | 0.00 | 584.62 | 584.62 | 894.18 | 894.18 | 788.22 | 788.22 | 912.51 | 0.00* |
| 2 | अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना | 2807.89 | 2807.89 | 2219.39 | 2219.39 | 2411.00 | 2411.00 | 2256.42 | 2256.42 | 3872.05 | 0.00* |

***राज्य से निधि उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है।**

**च. मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य की पीवीटीजी विकास योजना के संबंध में जारी की गई निधियों और उपयोग की गई निधि का विवरण:**

**(लाख रूपए में)**

| क्र.सं. | राज्य का नाम | वित्तीय वर्ष 2017-18 | | वित्तीय वर्ष 2018-19 | | वित्तीय वर्ष 2019-20 | | वित्तीय वर्ष 2020-21 | | वित्तीय वर्ष 2021-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि | जारी की गई निधि | उपयोग की गई निधि |
| 1 | मध्य प्रदेश | 8232.46 | 8232.46 | 7998.09 | 7998.09 | 8064.89 | 8064.89 | 2188.11 | 0.00 | 2888.69 | 0.00 |
| 2 | पश्चिम बंगाल | 330.75 | 330.75 | 843.42 | 843.42 | 437.47 | 437.47 | 519.40 | 519.40 | 0.00 | 0.00 |

**छ. 'टीआरआई को समर्थन' योजना के तहत जारी की गई निधि और उपयोग की गई निधि की स्थिति:**

**(लाख रुपये में)**

| क्र.सं. | राज्य का नाम | जारी की गई निधि | | | | | लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 |
| 1. | मध्य प्रदेश | 732.51 | 738.34 | 0 | 447 | 484.58 | 111 | 478.89 | 0 | 116.04 | 0 |
| 2. | पश्चिम बंगाल | 215.45 | 380.15 | 149.25 | 0 | 0 | 0 | 225 | 108.81 | 0 | 0 |

*****